कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

दिनांक 11/7/25

मांक /राजस्व/2025/ 1289

:आदेशः

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू. अभिलेख नियम 1957 मौजा रामदेव मंदिर पटवार मण्डल चाडार मदरूप के खातेदारी खसरा नंबर 2 रकबा 5.8517 हैक्टेयर किस्म बा. दो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नही है। उक्त रास्तें का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एंव बी एंव सी व डी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्मानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क. स.	ग्राम का नाम	खसंरा नंबर	कुल रकबा हेक्येर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्येर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरें का रकबा हेक्येर में
1.	रामदेव मंदिर	2	5.8517	बारानी दोयम	0.0404	5.8113

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसार बदलता नही है एंव वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है। जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी एंव सी व डी तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन भूमि रास्ता दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक /राजस्व/2025/ 1290-91

दिनांक :– 11/7/25

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का चाडार मदरूप ।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर